143, Surjeet Kr. Das
144, Sudhir Kr. Burman
Janardhan Pd. Yadav
od Kr. Sinha
lium Marandi
ingh

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

अधिहरण वाद सं0– 07 / 2008

सरकार द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़
बनाम
अधीर चन्द गोराई

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
18.10.2017	**आदेश** यह अधिहरण वाद प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 435 / आ0, दिनांक 15.09.2008 के द्वारा तीन जरकीन में जप्त 80 (अस्सी) लीटर किरासन तेल को अधिहरण करने के प्रस्ताव पर प्रारंभ किया गया है। दिनांक 11.10.2017 को विपक्षी प्रथम वकालतन के साथ उपस्थित हुए है। विपक्षी की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कारणपृच्छा दाखिल करते हुए कहा गया कि जप्त किरासन तेल से विपक्षी को कोई दावा नहीं है और न ही भविष्य में दावा करेंगे। इस बात को कारणपृच्छा में भी उल्लेख किया गया है। विपक्षी के अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल कारणपृच्छा तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन के पश्चात् तीन जरकीन में जप्त कुल 80 (अस्सी) लीटर किरासन तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1950 की धारा 6A के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के तहत अधिहरण करते हुए प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हिरणपुर को आदेशित किया जाता है कि वे जप्त किरासन तेल की बिक्री वर्त्तमान निर्धारित दर पर प्रति व्यक्ति 2–2 (दो–दो) लीटर की दर से हिरणपुर हटिया में कराते हुए बिक्री से प्राप्त राशि को जिला कोषागार में उचित शीर्ष के अन्तर्गत एक पक्ष के अन्दर जमा करके चालान एवं बिक्री सूची जिसमें क्रेता का पता एवं प्राप्तकर्त्ता के रूप में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अंकित हो न्यायालय में एक माह के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। लेखापित एवं संशोधित उ पा यु क्त, पाकुड़। उ पा यु क्त, पाकुड़।	

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.10 15:27:15 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with CamScanner